puts a question. He has also got the right to approach the consumer forum and the Government will extend its support.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : You have a duty to protect the consumers. I have a right as a consumer. But you have a duty as the Minister in charge. Why can't you prosecute those persons ?

SHRI A. K. ANTONY : The duty of the Government is to bring in the law and also to constitute various... (*Interruptions*).

SHRI SOM PAL : And not to implement.

MR. CHAIRMAN : He cannot go beyond his powers. He can do only what is within his powers. (*Interruptions*). Please listen to the Minister. Otherwise, I am going on to the next question.

SHRI A. K. ANTONY : Please let me complete. The duty of the Government is to constitute various redressal machinery. Because of the consistent persuasion of the Government, in our country, in all the 31 States, now we have the State Commissions and there are 455 district forums too. Every consumer is at liberty to approach the consumer forum and the Government will help the consumers. We have constituted a Consumer Welfare Fund. As per the provisions of the Fund, if the consumers are forced to spend a lot of money in one case, they can get reimbursement from the Fund. All these are done by the Government. Going to the court is not the role of the Government. It is the role of the consumer and the consumers' organisation. You can also go there.

MR. CHAIRMAN : Question No. 486.

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति

*486. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री राम जेठमलानी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा किये गये एक अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 90 प्रतिशत नागरिक देश के 10 राज्यों में ही केन्द्रित हैं;

(ख) यदि हां, तो यह राज्य कौन-कौन से हैं; इन राज्यों की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है तथा यह जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में गरीबी-उन्मूलन हेतु योजना में विशेष प्रावधान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

योजना आयोग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जिससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रभाव 90

*सभा में यह प्रश्न प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा पूछा गया ।

प्रतिशत है । 1987-88 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 33·4 प्रतिशत है । दस बड़े राज्यों में ग्रामीण गरीबों का 90 प्रतिशत तथा ग्रामीण जनसंख्या का 81 प्रतिशत बैठता है । गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आबटन करते समय राज्य में गरीबी के स्तर को महत्व दिया जाता है ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनकी गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी की रेखा किस आधार पर खींची जाती है ? आपने यह कहा है कि केवल 1986-87 में ही सर्वे हुआ है 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना तक गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग होंगे और वह रेखा किस आधार पर परिभाषित होती है । पिछले 9 साल में कोई सर्वे क्यों नहीं किया गया ? अगर सर्वे नहीं किया गया है तो क्या सिर्फ तीन प्रतिशत लोगों के लिए सारा बजट बनाया जाता है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो भूख से तड़पकर मरते हैं सर्दी गर्मी से मरते हैं, कुपोषण से मरते हैं आत्म हत्या से मरते हैं, उनके लिए इस सारे बजट के अंदर इतना थोड़ा प्रावधान रखा गया है कि उसमें न तो गरीबी दूर हो सकती है न इसमें कोई कार्यवाही हो सकती है इन्होंने इसके लिए क्या कार्यवाही की है और कब तक गरीबी की रेखा के नीचे हिन्दुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा ? इनकी क्या योजना है और कब तक उसे पूरा करेंगे ?

SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Sir, the per capita consumption expenditure at the 1973-74 prices was... (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY : Why don't you borrow some voice from Sangh Priya Gautam ?

श्री गिरधर गोमांगो : आप डिफिनीशन पूछ रहे हैं, मैं डिफिनीशन दे रहा हूं. . .

MR. CHAIRMAN : Please, allow the Minister to reply.

श्री गिरधर गोमांगो : आपने डिफिनीशन पूछा था वह मैं डिफिनीशन दे रहा हूं. . . **(व्यवधान)** यह हम लोगों ने डिफिनीशन दी है नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन पांच साल में एक सर्वे करता है । उसके बाद हमने लकड़वाला कमेटी 1989 में कांस्टीट्यूट की थी । उसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल है । दोनों रिपोर्ट्स से हम लोग इस्टीमेट करते हैं । फिर यह इस्टीमेट जो अवेलेबल है, 70-74 आनवाड्स अभी तक अवेलेबल है उससे पहले यह नहीं था । ये इस्टीमेट पांच साल के अंदर ही करते हैं । लास्ट टाइम जो था वह 1987-88 तक है । तो इन्सीडेंट आफ पावर्टी जो है 72-73 से 77-78 तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, वह डिक्रीज हो रही है । यह हमारे पास रिपोर्ट है । स्टेटवाइज इन-लिस्ट करके जिस-जिस स्टेट में ज्यादा पावर्टी और इंसीडेंट आफ पावर्टी ज्यादा है उनको इम्फेसिस देते हैं और जो क्राइटेरिया प्लानिंग कमीशन ने अपनाया है उसके मुताबिक एलोकेशन भी देते हैं ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है । मैंने पूछा था पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग कब तक गरीबी की रेखा से ऊपर आ जायेंगे ? क्या इनकी योजना है ? 2 हजार, 3 हजार सन तक कब तक इसको लिए प्लान कर रहे हैं ? कोई प्लानिंग है ? **(व्यवधान)**

श्री गिरिधर गोमांगो : लांग टर्म प्लानिंग में हम लोगों ने यह किया है कि एर्थ प्लान आब्जेक्टिव जो हमारा है, नीयर फुल इम्प्लायमेंट दिया जाये । यह होगा . . . **(व्यवधान)** एर्थ प्लान का जो टारगेट है उसमें हम नीयर फुल इम्प्लायमेन्ट इमजिन करते हैं ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है ।

आपने कहा है कि—

While allocating resources for poverty alleviation programmes, weightage is given to the level of poverty in the State.

10 राज्यों में 90 प्रतिशत लोग गरीब हैं, जो रूरल एरिया में हैं, परन्तु सरकार इस समय जिन स्टेट्स में वहां पर आतंकवाद होता है, जिन स्टेट्स के अंदर वहां पर इमरजेंसी होती है . . . ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (क्रमागत) : वहां पर यह सरकार अरबों-खरबों रुपए की धनराशि देती है, वहां पर लोगों को रोजगार देने के लिए योजनाएं बनाती है, वहां पर विकास की योजनाएं बनाती है और उसके लिए सब तरह की धनराशि दी जाती है, परन्तु जो वास्तव में पिछड़े हुए गरीब प्रदेश हैं, यू. पी. है, उड़ीसा है, बिहार है, और दूसरे हैं, उनको उसके हिसाब से धनराशि नहीं दी जाती । तो यह जो आपने लिखा है कि

"Weitage is given to level of poverty in the State."

क्या आप बता सकते हैं कि इन दस राज्यों जिनके बारे में प्लानिंग कमीशन का खुद सर्वे है, 90 प्रतिशत वहां के लोग गरीब हैं रूरल एरियाज में हैं उनको क्या वेटेज दी गई है और दूसरे प्रदेशों से कितनी अधिक धनराशि दी गई है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : टोटल एलोकेशन जो दिया गया फार द आल दोज टेन स्टेट्स वह 700 करोड़ है । इन्टेंसीफाइड ईयरवाइज स्कीम में 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो चुने गए हैं उसी में से 111 डिस्ट्रिक्ट्स दस राज्यों में हैं और 1755 ब्लाक्स जो कवर किया गया है एम्प्लायमेन्ट एशोरेंस स्कीम जो नया चालू किया तो 1320 ब्लाक्स यह 10 स्टेट्स में आता है, टोटल एलोकेशन वह 1200 करोड़ 1994-95 में दिया गया है । यह हम लोगों का एम्फेसिस जो है जहां-जहां पापुलेशन के मुताबिक जो एलोकेट होता है उसी स्टेट में जो पूअरर सेक्शन होते हैं जो आइडेंटीफाइ करते हैं उसी मुताबिक यह प्रायरिटी हम लोग देते हैं । उसको छोड़कर नया स्कीम जो है जो हिल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, ट्रायबल एरिया है उसमें भी एम्फेसिस दिया जाता है ।

श्री गोविन्द राम भिरी : महोदय, यह बताया गया है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आबंटन करते समय राज्यों में गरीबी के स्तर को ही महत्व दिया जाता है जबकि यह बात सत्य है कि जनसंख्या जो प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना जो है यह राज्यों का आबंटित बजट को प्रभावित करते हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो जनसंख्या के प्रतिशत हैं, प्राकृतिक आपदा है और जो दुर्घटनाएं होती हैं इनको भी गरीबी के स्तर को, वहां पर आबंटित करते समय महत्व दिया जाएगा ? अगर दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो क्यों नहीं दिया जाएगा ?

श्री गिरिधर गोमांगो : यह स्पेसेफिक गाइडलाइन्स हैं और उसी के मुताबिक दिया जाता है । आप जो पूछ रहे हैं वह इसमें नहीं आता है ।

प्रो. आई. जी. सनदी : सभापति महोदय, गरीबी इस देश के लिए क्रैंसर है। इसके निवारण के लिए इंदिरा जी का मंत्र था "गरीबी हटाओ" और औषधि थी "बीस सूत्रीय कार्यक्रम" आज कई राज्यों में यह बीस सूत्रीय कार्यक्रम भूले-बिसरे हो गए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-कौन से कदम वह उठाना चाह रही है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : सर, जितने मिनिमम नीड्ज प्रोग्राम और पावर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वह तो अभी एम्फोसिस ज्यादा गवर्नमेन्ट दे रही है। इसलिए रूरल डिवैलपमेन्ट में ज्यादा पैसा दिया गया और जो नया-नया स्कीम शुरू हुआ उसी से ही शुरू हुआ जो गरीबी हटाओ प्रोग्राम था। बीस सूत्रीय कार्यक्रम वह अभी भी राज्यों में काम हो रहा है और उस में जो सैन्टर और स्टेट का हिस्सा है वह कहीं 50-50 परसेन्ट है, कहीं 80 परसेन्ट 20 परसेन्ट है। उसी मुताबिक राज्यों और केन्द्र मिल कर, दोनों सरकार मिल कर 20 प्वायंट प्रोग्राम में जितने इनके कम्पोनेन्ट है उसको प्रायरिटी देकर काम हो रहा है अभी जो प्रायरिटी दिया गया 8वीं योजना में जब हम लोगों ने गरीबी की रेखा के मुताबिक हमको क्या करना है और कहां तक हम लोगों का करने की ताकत है उसमें हम लोग अभी थ्रस्ट दे रहे हैं रूरल डिवैलपमेन्ट और पावर्टी एलीविएशन स्कीम पर, वह 20 प्वायंट प्रोग्राम में आता है और वह भी मानिटरिंग होता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद सभापति जी। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस के साथ एक टिप्पणी करनी पड़ रही है कि एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब सरकार ने बहुत ही हल्के-फुल्के तरीके से दिया है, एक बहुत ही कैजुअल तरीके से दिया है।

एक तरफ सरकार ने स्वीकार किया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुल लोगों की 90 फीसदी आबादी केवल 10 राज्यों में रहती है और दूसरी तरफ सरकार ने उन 10 राज्यों के न तो नाम बताए हैं और न ये बताया है कि उन 10 राज्यों में इन गरीबों की गरीबी उन्मूलन करने के लिए कोई विशेष योजना सरकार ने तैयार की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि केवल संसाधन बांटने से गरीबी दूर नहीं हो जाती है। हमारे यहां राज्यों में जितनी विविधताएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अर्थात् उन राज्यों की जलवायु, उन राज्यों के विशेष परिवेश और उन राज्यों के अपने संसाधनों को सामने रखते हुए कोई विशेष कार्य-योजना गरीबी-उन्मूलन के लिए यदि आज तक इन्होंने तैयार नहीं की है तो क्या आगे उसे तैयार करने का कोई विचार मंत्री महोदय रखते हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगी : सर, 10 स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स के नाम का स्टेटमेन्ट मेरे पास है, लेकिन यह सवाल दो हिस्सों में बंटा है। एक तो आल इंडिया लेवल पर क्या परसेन्टेज है, यह पूछा गया है। फिर 90 परसेन्ट पापुलेशन जिन 10 स्टेट्स में है, उसके बारे में पूछा है। उन दोनों का कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट मेरे पास है। मैं उन 10 स्टेट्स के नाम पढ़ सकता हूं। वे हैं :—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान। सर, यहीं ज्यादा पापुलेशन है और पापुलेशन

के मुताबिक पुअर सेक्शंस भी ज्यादा हैं । उसी में 90 परसेन्ट जो है, वह तो है, लेकिन रूरल पापुलेशन आफ द स्टेट परसेन्टेजवाइज जो होता है, उसी में 80 परसेन्ट आता है और उसी में 90 परसेन्ट है जोकि 10 स्टेट्स के लिए हमने आइडेंटीफाय किया है, उसको हम एग्री करते हैं । वह एवायड नहीं किया है ।

I am not deviating from the main question. Thirty-three per cent is on an all-India basis. This all-India percentage comprises all the States which I have read out. (*Interruptions*)... Ninety per cent of the poor people are in these ten States.

90 परसेन्ट ज्यादा नंबर है, इसलिए वहां पापुलेशन भी ज्यादा है और स्कीम जो बनायी जाती है, वह पापुलेशन के मुताबिक बनायी जाती है । तो जो स्कीम हम लोग ने की है, उसमें स्टेटवाइज पापुलेशन और पावरटी—ये दोनों चीजें लेकर हम चलते हैं और उसी आधार पर फण्ड देते हैं । स्पेसिफिक प्रोग्राम फार 10 स्टेट् किसी एक आधार पर नहीं, लेकिन पापुलेशन और पावरटी दोनों को लेकर यह दी जाती है ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, in the year 1987-88 the percentage of persons below the poverty line in the rural areas, according to the hon. Minister, was 33. According to the recent survey it has been increased to 37%. Sir, the reason for the increased in poverty in the rural areas, in spite of the various schemes announced by the Central Government and the funds provided by the Central Government to the State Governments for their implementation, is that the State Governments are not properly spending the funds which have been given by the Central Government for the various schemes. There is pilferage and in some cases the funds have been diverted to various other schemes and they have not been spent for the specific schemes for which they have been given.

MR. CHAIRMAN: You please ask your question.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am coming to the question, Sir. A question was raised about a year ago when Mr. Sukh Ram was the Minister for Planning and Programme Implementation. We would like to know whether you have got a monitoring agency at the Central level. When you give funds to the State for various schemes the State Governments are diverting the money for other purposes without spending it for the purpose for which they are given. Therefore, without a monitoring agency you will not be able to see the result. Therefore, there is the incidence of poverty increasing from 33% to 37%. So, I would like to know categorically from the hon. Minister whether he is going to have a monitoring agency for monitoring the implementation of the schemes by the State Government.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Sir, in the statement which I have already given on the main question it is 33.4%. It is on the basis of 1987-88 report. The figure which he has mentioned is apparently according to the recent survey. I am not aware of... (*Interruptions*)... A number of programmes are being implemented by the State Governments.

Sir, the monitoring is done by the concerned Ministries departments, and by the State Government. The overall monitoring is done by the concerned Ministry. We receive reports from concerned Ministries and concerned States.

SHRI V. NARAYANASAMY: That programme is not being properly implemented. That is the point.

SHRI GIRDHAR GOMANGO: The monitoring mechanism is with the concerned Ministry and with the concerned State. Whatever information we receive, and circulate to all concerned. We compile it. If there is a specific programme and a specific scheme where money has been allocated and was diverted, it will be difficult for me to give a categorical answer. If the hon. Member has got any information about any such scheme in any State where money has been alloted but diverted, he can bring it to my notice.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I would like to know whether poverty alleviation is still on the agenda of the Government. From 1971 to 1991, at least, in public rhetoric a lot of fuss was made about Garibi Hatao. But since 1991, the voice of the Government has become mute as far as poverty alleviation is concerned. On the other hand, we find that in the case of the Narashimam Committee, it has reduced the priority lending to the weaker sections from 40 per cent to 10 per cent. Then a large number of subsidies have been reduced, including the subsidy on interest rate. Moreover, some of the basic measures could not reduce poverty. For instance, the Public Distribution System is under threat and the Land Reforms is not being implemented. Part (a) of my question is: To what extent is the Government really serious about poverty alleviation? The Minister has mentioned about reduction in poverty and all that. Would the Minister agree that this concept of poverty, which the Government is using, has no relevance?

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Mr. Chairman, Sir, if you permit, the Deputy Chairman of the Planning Commission will reply to it.

THE MINISTER OF COMMERCE: (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I am not the Minister in-charge. But I am the head of the Planning Commission. This is the job of the Planning Commission. (Interruptions). Let me answer; otherwise you will lose your time. Sir, poverty alleviation is very much on the agenda of the Government. If you look at the major rural development programme which is focusing on the income generating capacity of the rural population and the step-up of the rural development outlay from Rs. 7,000 crores to Rs. 30,000 crores, from one Plan to another Plan—Rs. 7,000 crores was allocated in the Seventh Plan and Rs. 30,000 crores was allocated in the Eighth Plan—and the distribution of the JRY resources on the basis of a number of poor people residing in a State, all are focusing on that particular aspect. The second point is this. There is a little misapprehension on the issue of 90 per cent. It is not correct to say that 90 per cent of the rural population is below the poverty line. According to the Planning Commission's assessment, the population below poverty line is 33 and odd per cent. According to some new methodology which has been recommended by the Lakdawala Committee which was referred to by Mr. Narayanasamy, this member will be little more. Now why this new methodology? Some academicians, some scholars raised the question about some of the elements of our methodology of computing and calculating the poverty line based on 2400 calorie consumption and the particular level of expenditure. So, the Planning Commission appointed a Committee under Dr. Lakdawala. They came out with a little different methodology. According to their assessment the number of

poor people below the poverty line would be a little more.

But, nonetheless, the number is going down over the years. It will be 33 per cent according to some method and according to some other method it may be 36 to 37 per cent. But it is going down. Therefore, my submission is that poverty alleviation is very much on the agenda of the Eighth Plan and a large number of programmes and schemes have been formulated for this purpose.

MR. CHAIRMAN: Shri Bhupinder Singh Mann.

SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Sir, the Government....

MR. CHAIRMAN: I am sorry. Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Import of Edible Oil

*481. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI V. GOPALASAMY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to import edible oil;

(b) if so, the quantity of edible oils proposed to be imported with cost in foreign exchange;

(c) the domestic production of edible oils during 1993 and the estimated production by the end of the year 1994;

(d) the extent to which the gap between the demand and supply of edible oils is anticipated to be met with the imports; and

(e) the overall impact on the domestic prices of edible oils?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) The decision to import palmolein has already been taken by the Government. However, the quantity and foreign exchange involved in import will be decided at the time of actual imports in the coming months depending upon the prices of edible oils in the country, its demand and supply in the market, etc.

(c) The likely production of edible oils during 1993-94 will be around 61.5 lakh M.Ts. No estimates have been worked out for the production by the end of the year 1994.

(d) At present, the gap between the demand and supply of edible oils is of the order of six to seven lakh tonnes and imported oil will supplement the availability of edible oils and reduce the gap to the extent of imported quantity.

(e) Imports of edible oil are likely to have a sobering effect on the prices in the open market as also make available palmolein at cheaper rates to consumers under PDS.

कोयला उत्पादन

*482. श्री अजीत जोगी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले की मांग तथा वास्तविक उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) देश में इस समय कोयले के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) योजना आयोग द्वारा